MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. The House is adjourned till 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Calling Attention to the matter of urgent public importance. Shri R.K. Sinha to call the attention of the Minister of Social Justice and Empowerment to the situation arising out of the reports of increasing drug addiction among school children in various parts of the country. सिन्हा जी, आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ लें, जो आपके पास है।

CALLING ATTETION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation Arising out of Reports of Increasing Drug Addiction Among School Children in Various patrs of Country

श्री आर.के. सिन्हा (बिहार): महोदय, मैं देश के विभिन्न भागों में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों में मादक द्रव्य पदार्थों की लत की खबरों के कारण पैदा हुई स्थिति की ओर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

श्री उपसभापति: ठीक है, अब आप बोलिए।

श्री आर.के. सिन्हा: मुझे इस विषय पर सभी माननीय सदस्यों का समर्थन चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मंत्री जी, आपका स्टेटमेंट बँट गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावरचन्द गहलोत): महोदय, मैं जब इसको पढ़ूँगा, तब सर्कुलेट करेंगे।

श्री उपसभापति: नही, नही। स्टेटमेंट तो शायद पहले बाँटा जाता है।

श्री थावरचन्द गहलोत: ठीक है, सर। स्टेटमेंट बँटवा दिया जाए।

श्री उपसभापति: आप बोल दें कि स्टेटमेंट.. ...**(व्यवधान)**... आप एक-दो लाइन पढ़ दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावरचन्द गहलोत: पहले वे बोलेंगे, उसके बाद न? ...**(व्यवधान)**...

श्री आर.के. सिन्हा: माननीय उपसभापति जी, मुझे बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: नही, नही। अब तो उन्होंने कॉल कर दिया है न। ...**(व्यवधान)**... दो मिनट। पहले मंत्री जी स्टेटमेंट पढ़ देते हैं, तब आप बोलें। ...**(व्यवधान)**...

श्री आर.के. सिन्हा: ठीक है, सर।

श्री थावरचन्द गहलोत: माननीय उपसभापति महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवा की मांग में कमी लाने के लिए एक नोडल एजेंसी है, जबकि नशीली दवा की आपूर्ति में कमी लाने संबंधी पहलू गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकारों के अंतर्गत विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देखे जाते हैं और नशीली दवा के दुरुपयोग से होने वाले नुकसान संबंधी पहलू को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देखा जाता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2018 में नशीले पदार्थों के उपयोग की सीमा और पद्धति पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया था। नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली को इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण के तकनीकी एवं वैज्ञानिक पहलुओं का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो देश के सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किया गया था। यह सर्वेक्षण 10 अन्य चिकित्सा संस्थानों तथा 15 गैर-सरकारी संगठनों के एक नेटवर्क के सहयोग से किया गया था। देश के इतिहास में यह पहला मौका है, जब देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के उपयोग के संबंध में जांच करने और इसका विवरण तैयार करने का प्रयास किया गया है। आंकड़ा संग्रहण कार्य में 1,500 से ज्यादा कार्मिक शामिल थे और यह कार्य दिसम्बर, 2017 और अक्टूबर, 2018 के बीच किया गया था।

यह सर्वेक्षण करने के लिए, संयुक्त रूप से दो आंकड़ा संग्रहण दृष्टिकोण अपनाए गए थे। देश के सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 10 वर्ष से 75 वर्ष आयु समूह के बीच से जनसंख्या का प्रतिनिधि-नमूना लेकर घरेलू नमूना सर्वेक्षण (एचएचएस) किया गया था। एचएचएस के दौरान, देश के 2,00,111 परिवारों का दौरा किया गया था और कुल 4,73,569 व्यक्तियों से सवाल पूछे थे। इसके अलावा, रिस्पांडेंट ड्रिवन सैम्पलिंग (आरडीएस) सर्वेक्षण किया गया था, जिसके अंतर्गत 135 जिलों में अवैध नशीली दवाओं पर निर्भर 72,642 लोगों को शामिल किया गया था। आंकड़ा संग्रहण एवं विश्लेषण के दौरान, अधिकतम गुणवत्ता, उच्च मानकों और नैतिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए गए थे। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभिन्न नशीले पदार्थों का उपयोग करने वाली भारतीय जनता के अनुपात के संदर्भ में और उनमें से नशीली दवा के प्रयोग के दुष्प्रभावों से प्रभावित लोगों के संदर्भ में मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। यह रिपोर्ट यह प्रमाणित करती है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग मन:प्रभावी पदार्थों का सेवन करते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन जनसंख्या के सभी समूहों द्वारा किया जाता है, लेकिन वयस्क पुरुषों में नशीले पदार्थों के सेवन से उत्पन्न विकारों का दुष्प्रभाव पाया जाता है। यह सर्वेक्षण यह संकेत भी करता है कि विभिन्न राज्यों में और विभिन्न नशीले पदार्थों के बीच इनके इस्तेमाल की सीमा में व्यापक अंतर है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, भारतीयों द्वारा सामान्यत: सबसे अधिक मद्यपान किया जाता है, जिसके बाद भांग और अफीम का सेवन किया जाता है। देश में लगभग 16 करोड़ व्यक्ति एल्कोहल का सेवन करते हैं, 3.4 करोड़ व्यक्ति भांग उत्पादों तथा 2.26 करोड़ व्यक्ति अफीम उत्पादों का सेवन

करते हैं। 5.7 करोड़ से अधिक एल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति, लगभग 72 लाख भांग का सेवन करने वाले व्यक्ति और लगभग 77 लाख अफीम का सेवन करने वाले लोग इनके सेवन से होने वाली हानि से पीड़ित हैं और उन्हें मदद की आवश्यकता है।

यह सर्वेक्षण यह भी संकेत करता है कि काफी संख्या में व्यक्तियों द्वारा सीडेटिव्ज़ और इनहेलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस समय, 10 वर्ष से 75 वर्ष आयु समूह के बीच के लगभग 1.18 करोड़ लोग सीडेटिव्ज़ (गैर-चिकित्सीय, बिना चिकित्सा नुस्खे) का इस्तेमाल करते हैं जबकि 77 लाख लोग (51 लाख वयस्क और 26 लाख बच्चे) इनहेलेंट्स का प्रयोग करते हैं। नशीले पदार्थों में इनहेलेंट्स ही ऐसी श्रेणी है, जो बच्चों और किशोरों में इस समय ज्यादा प्रचलित है और वे जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से इसका उपयोग वयस्कों से अधिक करते हैं (कुल जनसंख्या की दृष्टि से वयस्कों में इनहेलेंट्स का प्रचलन 0.58 प्रतिशत है जबकि बच्चों एवं किशोरों में इसका प्रतिशत 1.17 प्रतिशत है)।

देश में यह पहला सर्वेक्षण किया गया है, जिसके माध्यम से मन प्रभावी पदार्थों का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों के राष्ट्रीय एवं राज्य-स्तरीय आंकड़े प्रदान किए गए हैं। भारत में नशीले पदार्थों के उपयोग की सीमा और पद्धति पर सटीक जानकारी होने के कारण, देश में गंभीर सामाजिक स्वास्थ्य समस्या का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने की दिशा में यह पहला महत्वपूर्ण कदम है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि देश के 10 शहरों, अर्थात् श्रीनगर, चंडीगढ़, लखनऊ, रांची, मुंबई, बेंगलूरु, हैदराबाद, इंफाल, डिब्रूगढ़ और दिल्ली में राष्ट्रीय सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच नशीले पदार्थों के उपयोग के पैटर्न और प्रोफाइल का आकलन करने के उद्देश्य से एक सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के लिए कुल नमूनों के आकार में स्कूल के 6,000 छात्रों और कॉलेज के 2,000 छात्रों को शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण के इस घटक की रिपोर्ट नवम्बर, 2019 तक प्राप्त होने की आशा है।

नशीली दवा के दुरुपयोग की समस्या का समाधान करने के लिए, यह मंत्रालय वर्ष 1985-86 से मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत कर एकीकृत व्यसनी पुनर्वास केन्द्र (आईआरसीए) को संचालित करने तथा उनका रख-रखाव करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों और अन्य पात्र एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये आईआरसीए, अन्य बातों के साथ-साथ, निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, उत्प्रेरक परामर्श और नशामुक्ति संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान में, यह मंत्रालय देश में लगभग 450 आईआरसीए को सहायता प्रदान कर रहा है और अस्पताल में उपचार कराने वाले मरीजों के अतिरिक्त, वर्षभर में आईआरसीए में औसतन 1,00,000 से 1,25,000 मरीज उपचार के लिए आते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। मंत्रालय ने पहली बार वर्ष 2018-25 की अवधि के लिए नशीली दवा की मांग में कमी करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) भी तैयार की है, जिसका उद्देश्य बहु-आयामी रणनीति के माध्यम से नशीली दवा दुरुपयोग के दुष्परिणामों में कटौती लाना है, जिसमें

[श्री थावरचन्द गहलोत]

प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों को शिक्षा प्रदान करना, नशा-मुक्त करना और उनका पुनर्वास करना शामिल है। एनएपीडीडीआर के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) इस समस्या का निवारण करने और उसका पहले पता लगाने तथा बच्चों को कलंकित होने से बचाने के लिए छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता को शामिल करते हुए स्कूलों में निवारक शिक्षा तथा जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित करना;

(ख) कार्यशालाएं, संगोष्ठियां आयोजित करना और माता-पिता को एक मंच प्रदान करते हुए उन्हें आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए उनके साथ बातचीत करना;

(ग) नशीली दवा के उपयोग और उससे सम्बद्ध कारकों का शीघ्र पता लगाने के लिए विभिन्न मूल्यांकन स्तरों पर शिक्षकों और परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना; और

(घ) जिन बच्चों को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, उनके लिए नशा मुक्ति केंद्रों तथा किशोर गृहों को स्थापित करना और उन्हें सहायता प्रदान करना।

एनएपीडीडीआर के एक भाग के रूप में, यह मंत्रालय देश भर के 127 उच्च जोखिम वाले जिलों में हस्तक्षेप कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिनका उद्देश्य आदी करने वाले नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए सामुदायिक भागीदारी एवं जन सहयोग में वृद्धि करना है। इन कार्यक्रमों में "कम्युनिटी बेस्ड पिअर लेड इंटरवेंशन फॉर अरली ड्रग यूज़ प्रिवेंशन अमंग अडोलसेंट्स एंड आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर्स" भी शामिल है।

एनएपीडीडीआर के अंतर्गत सभी के लिए, आसानी से उपलब्ध तथा कम लागत वाली उपचार सेवाएं सुनिश्चित कराने की दृष्टि से, प्रत्येक जिले में आईआरसीए की उपलब्धता, मौजूदा आईआरसीए को उपचार क्लीनिकों में परिवर्तित करने, सरकारी अस्पतालों तथा उनके निकट स्थापित कारावासों, किशोर गृहों आदि में नशा-मुक्ति उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है।

नशीली दवा दुरुपयोग की समस्या को हल करने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों पर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। क्षेत्रीय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आती है। अत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एनएपीडीडीआर को संचालित करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शामिल किया है। इस मंत्रालय ने एनएपीडीडीआर के अंतर्गत जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और विशेष हस्तक्षेप कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए बजट भी निर्धारित किया है और उन्हें उपयुक्त कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए कहा है। इस योजना को प्रभावी रूप से कार्यन्वित करने की दृष्टि से एनएपीडीडीआर के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर निगरानी रखने की प्रक्रिया में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय है, की देश भर में एनएपीडीडीआर के कार्यकलापों की संकल्पना, उन्हें तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में पहचान की गई है। एनआईएसडी, एनएपीडीडीआर के कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु और नशीले पदार्थ की मांग में कमी लाने के लिए देश भर में सेवाओं के दायरे को बढ़ाने तथा कवरेज में सुधार करना सुकार बनाने के लिए मंत्रालय तथा राज्य सरकारों को सभी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

2018-19 के दौरान, एनएपीडीडीआर की योजना के अंतर्गत 112.33 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, जिसमें से एनएपीडीडीआर के तहत विभिन्न कार्यकलापों के तहत 52.10 करोड़ रुपए की राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ओर 58.16 करोड़ रुपए की राशि एनआईएसडी को जारी की गई है। 2019-20 के दौरान 135 करोड़ रुपए की राशि एनएपीडीडीआर के तहत आवंटित की गई है।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। श्री आर. के. सिन्हा जी, आपने Calling Attention move किया है, इसलिए इसके तहत आप 5 मिनट बोलेंगे और अन्य वक्ता 3-3 मिनट बोलेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री आर.के. सिन्हा: माननीय उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी का वक्तव्य स्वागत योग्य है। मंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं, किंतु मैंने जो विषय उठाया है, मैं जो विषय उठाना चाहता हूँ, यह उससे संबंधित नही है। इन्होंने 10 वर्ष से 75 वर्ष की आयु के लोगों का सर्वे कराया है, लेकिन मैं 8, 9, 10, 11 साल के बच्चों की बात उठाना चाहता हूँ। आपके लोक शिक्षा विभाग और दिल्ली नगर निगम ने मिलकर एक सर्वे किया है। उसमें मार्च तक का up to date डेटा है कि म्युनिसिपल स्कूलों में 16 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे नशे की लत में पड़ गए हैं। यह जो रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार बच्चे शराब और तंबाकू से लेकर औद्योगिक गोंद, जिसे सुलेशन कहते हैं और इंजेक्शन लेने के आदी हैं। 368 स्कूलों में पढ़ने वाले 75,037 बच्चों का अध्ययन किया गया है। इनमें से 12,627 बच्चे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 16.8 प्रतिशत बच्चे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से 8,182 बच्चे सूखी अफीम के गोले के साथ सुपारी ले रहे हैं, 2,613 बच्चे नियमित रूप से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और 1,410 बच्चे बीड़ी और सिगरेट पी रहे हैं। इनमें से सिर्फ 231 बच्चे शराब का सेवन कर रहे हैं। 191 बच्चे पेट्रोल पी रहे हैं। ये बच्चे सुलेशन पी रहे हैं, कोई तरल नशा कर रहे हैं, जो कि सस्ता नशा होता है। मंत्री जी के सर्वेक्षण में है कि शराब पीने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि उसमें वयस्क ज्यादा हैं, लेकिन मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ।

उपसभापति महोदय, यह राष्ट्र की समस्या है। आज सुबह बात हो रही थी, उपसभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई राज्यों के सांसदों ने भी कहा है कि यह गांव तक पहुंच गया है। यह गरीब बच्चों का सवाल है। बड़े घरों के बच्चे अस्पताल में जा सकते हैं, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो म्युनिसिपल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यह उन

[श्री आर.के. सिन्हा]

बच्चों की समस्या है। अगर ये बच्चे नशे की लत में पड़ेंगे, तो आने वाले अपराधियों में संलग्न होंगे, ये ही आतंकवादी बनेंगे। यह इस देश में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। हमें इसे देखना चाहिए, इसे माननीय प्रधान मंत्री को भी देखना चाहिए, गृह मंत्री जी को भी देखना चाहिए। अगर हमारे छः बच्चों में से एक बच्चा नशे की लत में पड़ गया, तो यह समाज कहाँ बचेगा? यह बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं समझता हूँ कि इस समस्या को हम मात्र सर्वेक्षण करके और इलाज के लिए पैसे आवंटित करके बंद नही कर सकते। आखिर केमिस्ट की दुकानों से प्रतिबंधित दवाएं बच्चे कैसे प्राप्त कर लेते हैं? इसे कौन देखेगा? यह स्वास्थ्य मंत्रालय का विषय है। ऐसी दवाएं, जो प्रतिबंधित हैं, ये केमिस्ट की दुकानों से कैसे प्राप्त कर लेते हैं? यह मेरा यह सवाल है। उनको खैनी, अफीम और तंबाकू बाजार में कैसे मिल रहा है? मैं 8, 9, 10 साल के छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। इनको यह लत लगाई जा रही है, ताकि ये भविष्य में आपराधिक कृत्यों में शामिल हों, आतंकवादी कृत्यों में शमिल हों। यह देशद्रोह की साजिश है, यह पूरे राष्ट्र के चरित्र को बदलने की साजिश है। इसका पता लगना चाहिए, इसका अनुसंधान करना चाहिए। ऐसे लोग, जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं, वे पकड़े जाएं, तो उन्हें फांसी की सजा देने का प्रावधान करना चाहिए। ये आतंकवादी से भी ज्यादा खराब काम कर रहे हैं। आतंकवादी एक व्यक्ति को गोली मारता है और वह समाप्त हो जाता है, लेकिन ये छ, आठ, नौ साल के बच्चों को नशे की लत लगा रहे हैं, जिससे वह जिंदगी भर स्वयं बरबाद रहेगा, पूरे परिवार को बरबाद करेगा और समाज के ऊपर बोझ बनेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध कर रहा हूँ कि वे प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराएं, गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराएं। यह समाज में बहुत बड़ी साजिश हो रही है कि अलग-अलग राज्यों के एक-एक गांव में ऐसा हो रहा है। हमें एक माननीय सांसद ने बताया कि यह राजस्थान के गांव में भी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इन्ही शब्दों के साथ अपने निवेदन को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार ऐसे ड्रग माफिया को समूल नष्ट करने के लिए कोई कारगर उपाय करेगी।

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, we are engaged here in a serious discussion on an alarming issue which poses serious concern before us. When we seek provisions to counter the increasing drug usage among students, initial tendency will go to legal approach, such as bringing new laws and tightening legal procedures to punish culprits who are involved in such activities. It is very much important. But, at the same time, along with all these measures, I would like to invite the attention of this House to another angle to this issue which we normally pay less attention. Our campuses must be socially inclusive and vibrant with democratic culture. Students must feel confident to approach the competent authority in case they face any form of isolation or depression. I would also state that all these issues are reflecting the social reality in India. The neo-liberal policies have nurtured the culture of consumerism, along with apolitical and self-centred individual life, despite value-based social life and political outlook. The unhealthy competition among students, increasing suicide rate, poor status of mental health are reflecting the social reality. Higher number

of such tendencies could be found in private institutions. It is very unfortunate to state that the new economic policy is, again, encouraging privatisation and commercialisation of education sector. Then, this tendency will grow. Globalisation imprisons people into a dangerous cell of individual-centric problem solving mechanism by not offering any social mechanism. Campuses cannot be free from this unless we shape them democratically inclusive and politically vibrant. Sir, my experience in Kerala is this. The High Court prohibited students' organisation at high school level. What do they do? Students' organisations and social organisations will prevent such illegal activities among students. Without social combination or social work, students led to illegal activities and anti-social activities. Merely by enforcing law, you cannot prevent this. This is my point. Students' participation is a crucial element in countering the unhealthy developments among the student community. This is why, again and again, our party, CPI (M), reiterate the importance of democratically-elected students' unions in all campuses.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI ELAMARAM KAREEM: With these words, I conclude my observations. Thank you.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Sir, this is a menace. This is not only affecting the drug users, but narcotics are used to misuse others. Children are given narcotics by others and they are misused. Sir, even the young people are given narcotics and they use them for other criminal activities, such as theft and even to the extent of murder. So, it is not just the sale or number of people using drugs as addicts, but misuse of narcotics and others for self-garnishment or whatever it is, somehow, should be stopped. There must be stringent law on that. We have seen many small children —eight years old, nine years old —raped after giving narcotics. All these things are very bad for the society. That shows where the country is going and how the youngsters are being used or misused. There should be a severe law to punish the people engaged in such activities. There should be a severe law to totally stop the usage of such goods. Anybody, having such goods, should be severely punished. So, there should be a stringent action not only by the Ministry of Social Justice, but the Ministry of Home Affairs should also look into it and see to it that sufficient laws to deal with this menace are in place. Thank you very much.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, increasing drug addiction amongst the school children should sadden everyone of us, sitting here in this house;

[Shri D. Raja]

it should sadden the society as a whole; it should sadden the country as a whole. It also shows the decadence of the values in our families and in our society. It also shows the moral crisis and the social crisis through which our society and the country are passing through. The children become easy victims of this. Children must be the central matter for the entire society. We must have concern for their wellbeing. The statement shows, apart from other things, cannabis is easily available. Today, one child psychologist from Mumbai was speaking to me. She told me that cannabis is considered to be the gateway drug. Once children move to cannabis, then they gradually move to other drugs.

We will have to first find out the problem. The problem is easy availability of these drugs —cannabis, hukka, ganja, and all other items that the doctor told me. All these things are easily available to the children. How is it possible? We will have to think as to how we can prevent the availability of such drugs. This is what the Government should address. You have taken several steps, but they are not adequate. You must go into the root cause of the problem. India is considered to be a country that has a large number of people suffering from mental sickness. Now, unfortunately, our children are also adding to that large number. It really saddens me. Why should our children suffer from such mental sickness? The easy availability of these drugs must be stopped. The Government must think of innovative measures to stop this.

Our next concern is how to save our children. There are issues of depression; there are issues of stress; there are issues of, as my colleague was pointing out, competitiveness. There are several other factors —social factors and family factors. There should be an awareness campaign. And, it should be at social level. We must create such a huge awareness that it should be able to stop our children from resorting to drugs. The parents must also be educated. Parents have a huge role to play in this matter. They must educate their children to not resort to drug consumption. There are many social and family issues. ...*(Time-bell-ring)*... So, my stress is on two points: (a) Availability of drugs must be stopped; and (b) awareness against drug abuse must be created. The Government must undertake serious measures in this regard. Thank you very much.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I wish to express my gratitude to the mover of this Calling Attention Motion, Shri R.K. Sinha. Many of my colleagues have spoken on this issue. So, I will not repeat those points. But the menace of drugs amongst the kids cannot be addressed unless we are

prepared to have a nuanced criticism of a capitalist society and the kind of features and outcomes it provides us with. Sir, there was a famous sociologist, Garfinkel, who said that the easiest thing in case of these issues is to organise a degradation ceremony, कि victim के बारे में बात करो और कहो कि वह बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। Sir, the problem does not lie there. There was one addict, Mr. Russell Brand. He was heroin addict. He said that this is actually amplified consumerism. First, we will have to understand why he called it amplified consumerism, and also the kind of pervasive impact it has among the people.

Now, I come to my second point which is very important. As a kind of consumerism society, Luskey long back said and I quote him, ' Individualism has become the hallmark of our contemporary society." It produces Robinson Crusoes, Sir. Robinson Crusoe had at least Bible to fall back upon. Now, these islands, which all of us have become, don' t even have a Bible in our hand to fall back upon because the capitalist society snatches everything from you. It makes you behave 24X7 as a consumer.

Thirdly, Sir, the mover himself said who these kids are. These are poor kids, largely poor kids, Sir. As I said, and I repeat, "The capitalism produces, the modern capitalism, in particular, global capitalism, in particular, ' great lakes of pain' , as it is said. This pain is derived from family conditions, family orientation, and, ultimately, what happens is that that child or kid actually gets alienated from the societal process. It gives him or her a sense that by taking this, he or she will have a little heart. So, what I wish to propose here, Sir, is this. I would request hon. Minister with folded hands to have some eye contact with me. Please make sure that unless we arrive at the root cause of demand and supply for this drug menace, only victim-naming, victim-shaming, बहुत बुरा हो रहा है, इतना हो गया है, won' t work, Sir. You have to work at two levels. Cutting the supply side, but at the same time, a kind of societal narrative which should be the dominant one, whereby Robinson Crusoes have, at least, to fall back upon something. Thank you very much, Sir. Jai Hind!

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आज हमारे देश में कम उम्र के बच्चों में नशे की लत पड़ती जा रही है, यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। महोदय, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, वर्ष 2005-06 में कराया गया था, जिसमें 15 से 18 वर्ष की उम्र के साढ़े बारह हजार करोड़ बच्चों में से चार करोड़ बच्चे तंबाकू, शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ के शिकार हो चुके हैं। वर्ष 2009 में नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 11 साल के करीब 33 प्रतिशत स्कूली बच्चे नशाखोरी की आदत के शिकार हो गए हैं।

[श्री वीर सिंह]

महोदय, आज कम उम्र के बच्चों में नशे की जो लत पड़ रही है, वह बहुत ही भयानक है। जब बच्चा स्कूल से आता है, उसको नशे की लत लग जाती है, वह गार्जियन से बहाने बनाकर पैसे मांगता है, नशे की आदत में पड़ जाता है, फिर वह अपराध की दुनिया में चला जाता है और जब वह जेल जाता है, तब उसके परिवार वालों को पता चलता है। इस पर रोक लगनी चाहिए। महोदय, हमारे देश की जो सीमा है, जैसे पाकिस्तान से पंजाब के माध्यम से काफी नशीले द्रव्य पदार्थों का आयात होता है और हमारे देश की नॉर्थ-ईस्ट की जो सीमा है, उधर से भी इसका बड़ी मात्रा में व्यापार होता है, तो इस पर नियंत्रण होना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, कड़े कानून बनाने चाहिए। यदि हम इस पर कानून नही बनाएंगे और उनका अनुपालन नही करेंगे, तो यह प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कई बार टिप्पणी की है कि इसका सर्वेक्षण कराना चाहिए - नशीले पदार्थों में जो वृद्धि हो रही है और युवाओं में इसका सेवन करने की बढ़ोतरी हो रही है। एक सर्वेक्षण कराकर इसकी रोकथाम की जाए, इस संबंध में कई बार उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को आदेशित किया है। आज युवाओं में बढ़ते नशीले पदार्थों के सेवन से यौन शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं। नशा सुंघाकर यौन शोषण किया जाता है, नशा सुंघाकर ट्रेनों और बसों में चोरी कर ली जाती है - इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। महोदय, गंभीर अपराध भी नशा करके ही होते हैं। छोटे-छोटे, कम उम्र के बच्चों में - 10-11 साल से 15-16 साल के बच्चों में नशे की वजह से आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वे गंभीर अपराधों को अंजाम देते हैं। इस ओर भी ध्यान देने की अति आवश्यकता है।

महोदय, नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थों की जो बिक्री होती है, जैसे कॉलेज़ों के कैंपस में, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड्स पर खुले में गुटका और अन्य चीज़ें बेची जाती हैं। ...**(समय की घंटी)**... उस पर रोक लगनी चाहिए। विदेशों से आकर कुछ लड़कियां या कुछ students यहां ड्रग्स बेचते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए।

श्री उपसभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री वीर सिंह: पिछले दिनों नोएडा में नाइजीरिया की एक लड़की और students यह सब बेचते पकड़े गए -उन्हें पीटा भी गया - इस पर पाबंदी लगनी चाहिए।

दूसरा, आज हमारे देश में एक ऐसा गैंग स्थापित हो गया है, जो छोटे-छोटे बच्चों को चुराकर उनमें नशे की लत डाल देता है और फिर उनसे रेलवे स्टेशनों पर भीख मंगवायी जाती है। यह बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रहा है। मेरा सुझाव है कि इस ओर भी सरकार को कदम उठाना चाहिए।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, वीर सिंह जी।

श्री वीर सिंह: महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मलिन बस्तियों में, झुग्गी-झोंपड़ियों में शराब माफियाओं को देसी शराब और नशीले पदार्थों की दुकानें आवंटित की जाती हैं। ...**(समय की घंटी)**... वे लोग ज्यादातर illiterate होते हैं, कम पढ़े-लिखे होते हैं।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, वीर सिंह जी। कृपया समाप्त करें।

श्री वीर सिंह: जिससे उनके बच्चों में यह सब अधिक मात्रा में बढ़ रहा है तो मेरा आग्रह है कि इस पर रोक लगायी जाए।

श्री उपसभापति: वीर सिंह जी, अब मैं अगले स्पीकर को बुलाता हूं।

श्री वीर सिंह: आखिर मलिन बस्तियों में ही क्यों शराब की दुकानें खोली जाती हैं? मैं निवेदन करता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए, धन्यवाद।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, the victims of drug misuse are not only the school children but the biggest victims of this problem are street kids who are addicted to substances, initially to alcohol and tobacco and later they get into drugs. Sir, we still have the highest number of child labourer in the country. Even though there are various regulations under the Integrated Child Protection Scheme and Juvenile Justice (Care and Protection Children) Act, but still the implementation of this Act is far from what we have envisioned.

The daily cycle of physical, mental and sexual abuse forces these children to resort to drug abuse. Sir, according to a study conducted by the All India Institute of Medical Sciences, at least, one-third of the street children are addicted to these drugs and all that.

Sir, as I have already stated, peer pressure, curiosity, dealing with the stress, difficulties and hunger, all these factors force them to become a drug addict. Sir, many children work for full time, in fact, leaving the school. They don't go to the school; they engage in the work to earn money to take the drugs. In a way, it is a social evil.

Sir, my humble submission in this regard is, there has to be a monitoring mechanism, and nearer to the schools, we should ban the alcohol shops, tobacco shops and bidi shops, etc., etc., so that, to some extent, we can curb this menace and school children or street children will not get addicted to that. And, there has to be a constant monitoring mechanism whereby counselling workshops at the school level and the university level have to be conducted so that we can enlighten them about the possible implications of the drug abuse. Sir, further, de-addiction centres and rehabilitation centres have to be established not only at the city level but also at the town level and at the mandal level.

Drug addiction comes at a great socio-economic cost as man-hours are wasted. We would not be able to utilize the efficiency and knowledge of children if they become

[Shri V. Vijayasai Reddy]

drug addicts. I would, therefore, request the Government of India to draft a policy and also enact a suitable law, apart from the law that I have stated, and implement the policy within a period of one year. Thank you, Sir.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, this is a really important subject —increasing drug addiction among school children in various parts of the country. As said in the statement made by the hon. Leader of the House, our Government has been constantly taking appropriate steps and implementing several programmes to contain this menace. Also, the Government has identified 177 high-risk districts across the country and they are conducting intervention programmes. I would like to know which districts in Tamil Nadu have been identified. If possible, it may be informed to this august House. As far as my limited knowledge goes, Tamil Nadu is free from this problem. I make this statement subject to correction. Human being is a slave to habits. After all, we human beings are slave to habits and so, good habits must be developed at a very young age among children by parents, teachers and well-wishers. Now, because of the modern lifestyle and a competitive world, parents are not able to concentrate on their children, which according to me, is the first problem. In my opinion, yoga must be made compulsory for children. I say this because I am a beneficiary of yoga practice. Once you start practicing yoga, you would be automatically kept away from all bad habits. A person practicing yoga cannot even drink polluted and contaminated water. That is the science. I practiced it for one year and recovered from an illness arising out of a motor accident. That is why I am suggesting this. My humble opinion is that if we regularly and properly practice yoga, we cannot even take contaminated water. So, yoga must be made compulsory for young children and the school administration and parents must pay proper attention to their children. Also, sports must be given prime importance. In the adolescent age, because of biological urge, they are attracted towards certain bad things. To avoid such bad habits, children must be involved in sports activities.

Sir, I would like to conclude my speech with a couplet. The hon. Finance Minister knows better than me, as Bharathiyar songs are very popular. There is a famous MGR song that I would like to quote.* I don't wish to take further time of the House. The entire nation relies upon good children. This is a very famous song of MGR. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Navaneethakrishnan, for making very positive suggestions. Now, Shri Ravi Prakash Verma.

*Spoke in Tamil.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद सर, मैं आदरणीय सिन्हा जी का आदर करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही जलते हुए विषय पर मंत्री जी का ध्यानाकर्षण कराया है। सर, बच्चों के drug addict होने की बातें सामने आ रही हैं। हमें मालूम है कि ब्रिटिश हुकूमत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना में यह प्रयोग किया था। उन्होंने अफीम के व्यापार की monopoly ले ली थी और पूरे के पूरे चाइना को अफीमची बना दिया था, जिसके कारण वे लम्बे समय तक उसको कंट्रोल कर सके थे। सर, यह तो एक aspect है।

सर, यह संगठित अपराध है। श्री एन.एन. वोहरा साहब ने ऑर्गनाइज्ड्क्राइम पर एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में कभी रखी थी। सर, उस पर कोई समग्रता से चर्चा नही हुई। आज स्थिति यह है कि यह एक संगठित अपराध है। इसमें प्रशासन के लोग भी मिले हुए हैं, इसमें समाज के ताकतवर लोग भी मिले हुए हैं, इसमें बिजनेस करने वाले लोग भी मिले हुए हैं, यह माफिया बन चुका है और सच्ची बात तो यह है कि यह बहुत से क्राइम की फंडिंग का सोर्स भी बन चुका है। सर, यह बाहर से भी आती है और यहां भी पैदा होता है, यह बड़ा issue नही है, लेकिन बड़ा issue यह है कि इसको कंट्रोल करने का जो सिस्टम है, उस पर हम कैसे काम कर रहे हैं। सर, यह एक सीरियस पब्लिक हैल्थ issue है। जितने लोग ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं या नशे के आदी हो चुके हैं, अगर उनके नशे की आदत छुड़ाने की जरूरत है, तो हमारे पास पर्याप्त काउंसलर या स्वास्थ्य कर्मचारी नही हैं, न उतने अस्पताल हैं, न उतनी इकाइयां हैं, जो उनकी देखभाल कर सके। यह एक बहुत बड़ा issue है कि हमारी नई जेनरेशन या पुराने लोग, जो नशे के शिकार हो चुके हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त साधन तो होने चाहिए। हमारे पास डॉक्टर्स ही नही हैं, एक्सपर्ट्स ही नही हैं, जो उनका ट्रीटमेंट कर पाएं, इक्का-दुक्का कुछ लोग उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर, यह बड़ा issue है।

सर, जो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, उनकी जो नागरिकता का स्तर है, वह बहुत गिर जाता है, उनका जो moral level है, वह बहुत गिर जाता है, जिसका जिक्र अभी हमारे साथियों ने किया था।

सर, यह स्कूल में खाली ड्रग्स का issue नही है। इसके बारे में, मैं पहले ही संसद को बता चुका हूं कि नई उम्र के बच्चे जिज्ञासु होते हैं और इंटरनेट के माध्यम से उनको इतना porn available है, इतना ज्यादा pornography का consumption हो रहा है कि इससे उनके माइंड में डिसऑर्डर पैदा होता है और वहां पर ड्रग्स को induct करने की जगह मिलती है। सर, यह combined issue है और इसको ट्रीट करने के लिए मुझे लगता है कि हमें बड़े पैमाने पर एक्सपर्ट्स चाहिए। ये एक्सपर्ट्स हर जगह पर चाहिए, गांव में भी चाहिए और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल बने हुए हैं, वहां भी चाहिए।

सर, एक चीज़ सामने आ रही है कि हमारी सोसायटी धीरे-धीरे disintegrate हो रही है, चूंकि जो bond हुआ करता था, वह बच्चों को जिंदगी का मकसद देता था। आज हालत यह है कि हर आदमी अलग जिंदगी जीना चाहता है। अभी मेरे वरिष्ठ साथी बता रहे थे कि we are living like small islands. हर आदमी अपनी-अपनी दुनिया में जी रहा है। हमारे यहां पर

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

इंटरेक्शन का लेवल कम हुआ है और हम लोग धीरे-धीरे isolation में जाने लगे हैं और society disintegrate कर रही है, वहां पर हमारे बच्चों में गहरी हताशा पैदा हुई है।

सर, बच्चों को जिंदगी का मकसद चाहिए, लेकिन उनको जिंदगी का मकसद देने के लिए कोई एजेंसी नही है, कोई सोसायटी नही है। ...**(समय की घंटी)**... I am just closing. This is very important. सर, एक चीज़ जो मैं स्कूलिंग के बारे में कहना चाहता हूं, सर, यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपेरिमेंट्स हुए। जो आवारा या नशेड़ी बच्चे थे, उनको ट्रैक पर लाने के लिए Midnight Basketball League चालू किया। सर, बच्चों को इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कोई उनकी देखभाल करे, उनकी जिंदगी का कोई मकसद हो। वह प्रयोग बड़ा कामयाब सिद्ध हुआ था। सर, हमारे यहां स्कूलिग में जो competitive stress बन रहा है, उसके कारण बहुत से बच्चे आत्महत्या भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हजारों बच्चे अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, कोटा में ही सैकड़ों बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं | सर, achievement-based learning जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, उसमें कुछ न कुछ बच्चों को achievement मिलता रहे और achievement based learning हो, तो जिंदगी का मकसद मिलता रहेगा।

सर, मेरा आपसे खाली इतना कहना है, मैं बहुत लम्बी बात नही कहूंगा कि ड्रग्स की जो availability है, इसमें मोटे तौर पर भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की connivance होती है और अब यह ऑर्गनाइज्ड माफिया बन चुका है। अब यह अकेले माननीय मंत्री जी के बस का नही रहा है, इसके लिए combined efforts चाहिए। सर, मैं आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं कि ...

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, आखिरी सेंटेंस है। जिस तरीके से स्वच्छता अभियान में माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने आपको इन्वॉल्व किया है, पूरे देश को इन्वॉल्व किया है, मेरी अपील है कि यह भी बहुत बड़ा issue है, यह हिन्दुस्तान के भविष्य का सवाल है, हिन्दुस्तान के नागरिकों का सवाल है, उतने ही बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम माननीय प्रधान मंत्री कार्यालय से बनाकर चलाया जाए। सर, हमारे बच्चे, हमारी उम्मीदें हैं, वे हमारा भविष्य हैं, वे हमारे भविष्य के नागरिक हैं। अगर हमारे नागरिकों का स्तर ऊपर उठेगा हर तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, वर्मा जी। आपने अत्यंत सकारात्मक सुझाव दिए हैं। श्री सुशील कुमार गुप्ता।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): धन्यवाद, उपसभापति महोदय। आज के समय में मादक पदार्थों का सेवन एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। युवाओं का एक वर्ग इसकी चपेट में पूरी तरह से आ चुका है। कोकीन, हेरोइन, अफीम, गांजा, शराब, ब्राउन शुगर, भांग, तम्बाकू जैसे नशीले पदार्थों का जीवन के अंदर इतना उपयोग बढ़ गया है कि आज युवाओं का जीवन खराब हो रहा है। स्कूलों और कॉलेजों के अंदर नशीली गोलियों की एक सप्लाई चेन बन चुकी है।

महोदय, इससे युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है और उन्हें नशीली दवाओं को खाने की आदत पड़ चुकी है।

महोदय, पंजाब जैसे राज्य में 75 प्रतिशत youth नशे की चपेट में आ चुके हैं। इस समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। दिल्ली, मुम्बई और चेन्नै जैसे महानगरों में hookah bar और rave पार्टियां, अमीरों का एक fashion बन चुकी हैं। इन पार्टियों में ज्यादा से ज्यादा पैसे खराब करके rave पार्टियां farm houses में या किसी एकान्त स्थान पर आयोजित की जाती हैं और वहां हर प्रकार के नशे किए जाते हैं।

महोदय, उत्तरी भारत में 9 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के लगभग 53 प्रतिशत छात्र नशा करते हैं और 21 प्रतिशत छात्र high risk activity में involve रहते हैं, जैसे sexual intercourse with multiple partners.

महोदय, यदि मैं दुनिया भर की बात कहूं, तो दुनिया भर में लगभग 500 million dollar से बड़ा कारोबार ड्रग्स का होने लगा है। अगर मैं बड़े कारोबारों की बात कहूं, तो petroleum और हथियारों के कारोबार को छोड़कर, आज दुनिया के अंदर तीसरा सबसे बड़ा कारोबार ड्रग्स और नशे का बन चुका है।

महोदय, मैं समझता हूं कि इससे देश को बचाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य करने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार नशीले पदार्थों की बिक्री पर ध्यान रखे, international borders, जहां से नशे की दवाएं आती हैं, जैसे पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों के borders पर ज्यादा सख्ती की जाए, ताकि heroin और cocain जैसी चीजें हिन्दुस्तान के अंदर न आ सकें।

महोदय, हिन्दुस्तान की जो नई शिक्षा नीति बन रही है, उसके अंदर ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे moral stories पढ़ाई जाएं और विद्यार्थियों को moral शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चे नशे से बच सकें। मैं आज आपके माध्यम से सदन और देश के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि वे social media और TV channels को छोड़कर अपने बच्चों के साथ कुछ समय गुजारें। बच्चों को दादी और नानी की जो कहानियां पहले सुनाई जाती थी, उन कहानियों के माध्यम से जो उनके जीवन में संस्कार दिए जाते थे, वे बच्चों को दिए जाएं। बच्चे चाहते हैं कि उनके माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी समय व्यतीत करें और उन्हें संस्कार दें, ताकि बच्चे अकेलेपन से घबराकर नशे की आदत को अपनाने से बचें और इस संबंध में बेहतर तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ सके।

श्री उपसभापतिः गुप्ता जी, धन्यवाद। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सुशील कुमार गुप्ताः उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि दिल्ली Delhi AIDS Control Society ने एक प्लान दिया है, जिसके अनुसार 260 Government dispensaries के अंदर 400 medical officers काम कर रहे हैं तथा 150 specialists 32 दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पतालों में ट्रेन किए जा रहे हैं। Institute of Human Behaviour and Allied Sciences के माध्यम से manpower को train करके, किस प्रकार से हम नशे की लत को छुड़ा सकते हैं और किस प्रकार से हम उनकी आदतों में सुधार कर सकते हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

[श्री सुशील कुमार गुप्ता]

महोदय, मेरा निवेदन है कि दिल्ली के अनुसार ही हिन्दुस्तान के हर राज्य में एक प्लान बनना चाहिए और भारत सरकार की तरफ से प्लान बनाया जाना चाहिए जिसमें ऐसी व्यवस्था हो कि किस प्रकार से हम नशे की लत से युवाओं को अलग कर सकते हैं और किस प्रकार भारत के भाग्य को आगे बढ़ा सकते हैं, जय हिंद!

श्री शमशेर सिंह ढुलो (पंजाब): उपसभापति जी, Social Justice Ministry द्वारा सदन में जो statement दी गई है, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। Ministry ने नशे की लत को रोकने और इसे समाप्त करने के लिए उसके द्वारा सर्वे कराए जाने की बात कही है। उसने इसके लिए जो funding की गई है, उसके बारे में भी बताया है तथा जो सेमिनार वगैरह आयोजित किए गए हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी है। इस बारे में awareness लाने के लिए भिन्न-भिन्न NGOs के द्वारा propaganda किया जाता है, ताकि युवाओं में फैल रही इस आदत को कैसे रोका जा सके।

मान्यवर, यह बहुत serious बात है। मैं पंजाब प्रदेश से आता हूं। पंजाब प्रदेश में U.N. की report के मुताबिक हमारे प्रदेश के 70 परसेंट यूथ नशे के आदी हैं। U.N. ने हमारे देश के बारे में वर्ष 2018 में एक रिपोर्ट दी थी, जिसके मुताबिक भारत में 30 परसेंट नशा ज्यादा बढ़ा है, फिर वह नशा चाहे अफीम का हो, कोकीन का हो, तम्बाकू का हो, गांजे का हो या अन्य किसी प्रकार के नशे की चीज हो। यह बात स्पष्ट रूप से U.N. ने अपनी वर्ष 2018 की रिपोर्ट में कही है। मैं कह सकता हूं कि यह विषय और अच्छा हो जाता अगर होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री भी यहाँ होती। वेलफेयर मिनिस्ट्री ड्रग एब्यूज़ को रोकने के लिए अवेयरनेस लाने के लिए अपना प्रचार कर रही है, पर सवाल यह है कि जो होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री हैं, इनका होना भी बहुत जरूरी है। देश में एक ऐसी समस्या है, जिसका अंत होना चाहिए। जैसे अभी माननीय सुशील कुमार गुप्ता जी ने कहा है कि ड्रग एक बिजनेस बन चुका है। मैं पंजाब में तकरीबन देखता हूं कि पंजाब एक ऐसा सूबा है, जहाँ इसका बहुत ज्यादा चलन है। वहाँ पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ ही हमारी सरकार आई थी। लोगों ने इसलिए वर्डिक्ट दिया था, क्योंकि पिछले सालों में इतना ड्रग्स एब्यूज़ हुआ कि बहुत नुकसान हुआ। उसी वजह से लोगों ने हमारी सरकार को चुना। अब हमारी सरकार के दो साल हो गए हैं और अब हम देख भी रहे हैं कि वहाँ पर ड्रग्स कैसे चलाई जा रही हैं। आप हर रोज देखेंगे, न्यूज पेपर में पढ़ेंगे कि एक या दो नौजवान, youngster overdose से मरते हैं। वहाँ Rehabilitation Centres बहुत हैं, पर आप देखेंगे कि इन चीजों को check करने के लिए जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, जिसमें पुलिस का रोल है, वे ठीक से काम नही करते।

मान्यवर, सामग्री को रोकने के लिए या इन माफिया लोगों को रोकने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। हिंदुस्तान में different type के माफिया काम करते हैं - जैसे ड्रग माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया और लिकर माफिया हैं। अगर आप लिकर को देखेंगे तो पाएंगे, स्टेट के बजट शराब पर ही ज्यादा आते हैं। हिंदुस्तान में गुजरात जैसे कई सूबे हैं, जहाँ शराब को बंद

किया गया है, पर अफसोस की बात है कि इस तरफ तो हम नशे को कम करने की बात कर रहे हैं और उस तरफ एक्साइज, रेवेन्यु बढ़ाने के लिए, बोतलों का जो एमजीएल होता है, उसको बढ़ा रहे हैं। जो सारी सामग्री है, यह एक नेक्सस है। पोलिटिकल, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, गैंगस्टर्स और जो स्मगलर्स हैं, जब तक इनका नेक्सस नही टूटता, तब तक यह सामग्री आनी बंद नही होगी। इस पर प्रचार से काम नही होता, इसके लिए सरकार की विल पावर होनी चाहिए। विल पावर के बिना कुछ भी खत्म नही हो सकता है। जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: धन्यवाद, शमशेर सिंह ढुलो जी।

श्री शमशेर सिंह ढुलो: आप मेडिकल स्टोर्स पर चले जाइए, कही भी जाकर देख लीजिए, वहाँ आम तौर पर नशे की दवाइयाँ मिलती हैं। हमारे यहाँ, 2013 में पुलिस का एक डीएसपी पकड़ा गया, जिसने अपनी interrogation में बताया कि ...

श्री उपसभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया खत्म करें।

श्री शमशेर सिंह ढुलो: उसने 6000 करोड़ रुपये के नशे की स्मगलिंग की। सर, मेरी यह गुजारिश है कि यह अहम मसला है। होम मिनिस्ट्री, जो बॉर्डर देखती है, वहाँ पर जो ज्क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग होती है, वह अफगानिस्तान से होती है, म्यांमार से होती है, वे बॉर्डर पर ...**(व्यवधान)**... करते हैं, इसलिए बॉर्डर को भी सील करने की जरूरत है और उसके लिए विल पावर चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: धन्यवाद। कृपया खत्म कीजिए।

श्री शमशेर सिंह ढुलो: सर, हमारी ड्रग्स पर एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2016 में कहा है कि ड्रग्स पर एक नीति बननी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: धन्यवाद। अब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। ...**(व्यवधान)**... आप समय से अधिक बोल चुके हैं, इसलिए अब खत्म करें।

श्री शमशेर सिंह ढुलो: हम 2020 में कया करेंगे? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: ठीक है। यह बहस एक घंटे के अंदर खत्म करनी है। ...**(व्यवधान)**... इस पर फिर बहस करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री शमशेर सिंह ढुलो: पंजाब एक ऐसा सूबा है कि जो ड्रग्स में involved हैं, वहाँ नेक्सस है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: धन्यवाद। श्रीमती कहकशां परवीन आप बोलिए।

श्री शमशेर सिंह ढुलो: उपसभापति जी, हमारे मुख्य मंत्री ने ...**(व्यवधान)**...

3.00 P.M.

श्री उपसभापति: अब आपकी बात रिकॉर्ड पर नही जाएगी। आप समय से दो मिनट अधिक बोल चुके हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री शमशेर सिंह ढुलो: *

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): उपसभापति जी, ड्रग्स के विषय पर चर्चा हो रही है और सभी इस चर्चा में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे बच्चे मुस्तकबिल हैं। कोई भी माँ-बाप हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो उससे उनकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। महोदय, बच्चा जब भी कोई चीज, चाहे वह अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, सीखता है, तो वह अपने आस-पास के समाज से ही सीखता है। मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं कि बिहार में माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्ण शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी के लिए जो मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम का असर यह हुआ कि स्कूल में जो सारे बच्चे पढ़ रहे थे, उन 1 करोड़, 19 लाख बच्चों ने अपने माता-पिता, अपने अभिभावकों से संकल्प पत्र भरवाया कि वे शराब नहीं पिएंगे और शराब पीने वाले को नही पीने के लिए प्रेरित करेंगे। 9 लाख स्थानों पर मद्य निषेध के नारे लिखे गए और 12 हजार, 760 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनी, जिसमें 4 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया।

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इस पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं और समाज को इस बुराई से निकालने की बात कर रहे हैं, इसके लिए कई कानून भी बनाए गए हैं और आपकी तरफ से प्रयास भी किए गए हैं। बिहार में भी इसके लिए कानून बनाया गया, लेकिन कानून के साथ-साथ वहाँ इसका सख्ती से पालन भी कराया गया है। साथ ही साथ, वहाँ इसके लिए जन-जागरण अभियान भी चलाया गया है। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि इस बुराई से बचने के लिए, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको इससे निजात दिलाने के लिए बिहार में जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुहिम छेड़ी है, क्या वे उस मुहिम को अपनाने का काम करेंगे?

† **محترمہ کہکشاں پروین (بہار):** اپ سبھا جی، ڈرگس کے وشئے پر چرچا ہو رہی ہے اور سبھی اس چرچا میں اپنے وچار ویکت کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی گمبھیر وشئے ہے۔ ہمارے بچے مستقبل ہیں۔ کوئی بھی ماں باپ ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب

---

*Not recorded

†Transliteration in Urdu Script.

ہو، جب اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں۔ تو اس سے ان کی بہت ساری امیدیں جڑی رہتی ہیں۔ مہودے، بچہ جب بھی کوئی چیز، چاہے وہ اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو، سیکھتا ہے، تو وہ اپنے آس پاس کے سماج سے ہی سیکھتا ہے۔ میں سدن کا دھیان اس طرف آکرشت کرنا چاہتی ہوں، کہ بہار میں مانّئے مکھیہ منتری جی نے پورن- شراب بندی اور پورن-نشہ بندی کے لئے جو مہم چھیڑی ہے، اس مہم کا اثر یہ ہوا کہ اسکول میں جو سارے بچے پڑھ رہے تھے، وہ ایک کروڑ، انیّس لاکھ بچوں نے اپنے ماں باپ، اپنے ابھیبھاوکوں سے سنکلپ پتر بھروایا کہ وہ شراب نہیں پئیں گے اور شراب پینے والے کو نہیں پینے کے لئے پریرت کریں گے۔ نو لاکھ جگہوں پر مدھ-نشیدھ کے نعرے لکھے گئے اور بارہ ہزار، سات سو ساٹھ کلو میٹر مانو-شرنکھلا بنی، جس میں چار کروڑ لوگوں نے حصہ لیا۔

میں مانّئے منتری جی سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے آپ اس پر چنتا ویکت کر رہے ہیں، اس پر لگام لگانے کی بات کر رہے ہیں اور سماج کو اس برائی سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، اس کے لئے کئی قانون بھی بنائے گئے ہیں اور آپ کی طرف سے پریاس بھی کئے گئے ہیں۔ بہار میں بھی اس کے لئے قانون بنایا گیا، لیکن قانون کے ساتھ ساتھ وہاں اس کا سختی سے پالن بھی کرایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ، وہاں اس کے لئے جن-جاگرن ابھیان بھی چلایا گیا ہے۔ میں سماجک نیائے اور ادھیکارتا منتری جی سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس برائی سے بچنے کے لئے، خاص کر جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، ان کو اس سے نجات دلانے کے لئے بہار میں جس طرح سے مانّئے مکھیہ منتری جی نے مہم چھیڑی ہے، کیا وہ اس مہم کو اپنانے کا کام کریں گے؟

(ختم شد)

श्री उपसभापति: श्री राम विचार नेताम।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): सर, मैं आदरणीय आर. के. सिन्हा जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने देश की एक ज्वलंत समस्या की ओर सदन और इस सदन के माध्यम से देश का ध्यान आकर्षित कराया है। महोदय, आज नशा अनेक प्रकार का है। कोई पेय में है, कोई चिलम में है, कोई कुछ और में है, कोई टैबलेट में आ गया है, कोई सिरप में आ गया है, चॉकलेट में भी है, सुलेशन, जो रबड़ साटने वाली चीज है, उसमें भी है, हुक्का बार भी है, हुक्का बार

[श्री राम विचार नेताम]

आजकल एक शौक हो गया है। यहाँ तक कि लोग इससे addict होते चले जा रहे हैं। इस तरह की जो एक मानसिकता बढ़ी है, इस मानसिकता को समझते हुए हमें इसका कोई न कोई उपाय ढूँढ़ना ही पड़ेगा। केवल सरकारी नियम-कानून के आधार पर ही सब कुछ नही हो सकता। यह जो मानसिकता बनी है, इसकी वजह से पूरी पीढ़ी बरबाद हो रही है। यह आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं ऐसी जगह भी गया हूँ, जहाँ नशा-मुक्ति केन्द्र था। मैं उन क्षेत्रों के कैंप में भी गया हूँ। मैंने देखा कि वहाँ छोटे-छोटे बच्चे भी थे। मैंने पता किया कि इस बच्चे को यहाँ क्यों लाकर रखा गया है, तो उन्होंने बताया कि यह इसके बगैर नही रह सकता। वह जाता है, तो बीमार पड़ता है, इसलिए हम इसका इलाज कर रहे हैं। महोदय, इसकी वजह से आज यह हो रहा है कि मनुष्य की जो growth होती थी, उस growth में कमी आ रही है। जिसकी growth 50-60 kg. average होती थी, खासकर remote और tribal areas में, आज उसकी growth बहुत कम हो गई है। इसकी वजह से उनमें तरह-तरह की बीमारियाँ होने लगी और उनमें तरह-तरह की कमियाँ होने लगी। इसीलिए उन क्षेत्रों में वे न तो शिक्षा में आगे आ पा रहे हैं, न तो खेल-कूद में आगे आ पा रहे हैं और न ही अन्य क्षेत्रों में जा पा रहे हैं। इसलिए इन बातों की ओर आज विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, यह बात अलग है, सबको मालूम है और पूरे देश को भी मालूम है कि यह जो नशे का कारोबार है, यह पूरा कारोबार एक-दो विभाग का नही, बल्कि सभी का एक तरह से समन्वित अपराध है, जैसा आदरणीय वर्मा जी ने भी इस ओर इशारा किया है। इसलिए आज इसकी जरूरत है कि हमें इसका हल कही न कही से ढूँढ़ना चाहिए। उन क्षेत्रों में भी आज ऐसी स्थिति है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, वहाँ भी पान के ठेलों में, वहाँ की दुकानों में जाकर लोग टैबलेट के रूप में, कोई सिरप के रूप में ...**(समय की घंटी)**... कोई चिलम के रूप में, कोई हुक्का बार के रूप में इसे ले रहे हैं। जो लोग इस कारोबार को चला रहे हैं, वे लोग मजे से पैसे कमा रहे हैं, लोगों का भविष्य और उनकी जिन्दगी बरबाद कर रहे हैं और देश की पीढ़ी बरबाद कर रहे हैं। महोदय, इसलिए आज यह चिंता है कि इस देश की आने वाली पीढ़ी को हम कैसे बचाएँ। एक ज़माना था, वह अलग बात है कि समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें जो चीजें निकली, उनमें से एक नशा भी था, लेकिन उस समय के नशे और आज के नशे में जो एक परिवर्तन, जो एक change आया है, वह यह है कि यह कई तरह का नशा हो गया है। महोदय, एक तरह से आज इस समाज के जागने की जरूरत है कि इस मोबाइल का भी नशा हो गया है। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: आप अपनी बात खत्म करें।

श्री राम विचार नेताम: आज लोग मोबाइल के भी addict हो गए हैं। उसकी वजह से भी वे hospitalize हो रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आदरणीय सिन्हा जी ने एक महत्वपूर्ण विषय को सदन में लाकर, जो आज देश की समस्या है, एक ज्वलंत विषय है, इस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। निश्चित तौर पर हमें इसके हल पर जाना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। कृपया शांति बनाए रखें। श्री बिश्वजीत दैमारी।

श्री विश्वजीत दैमारी (असम): सर, आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं श्री आर. के. सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को, Calling Attention Motion के रूप में लाकर, यहां चर्चा करने की एक सुविधा दी है। यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। ड्रग्ज़ क्या है, यह सबको पता है, इसलिए इसके बारे में अधिक चर्चा करने की जरूरत नही है। लेकिन हमारे समाज में इसको कैसे रोका जा सकता है और हमारी आने वाली नई पीढ़ी को कैसे हम इससे बचा सकते हैं और सही दिशा दिखा सकते हैं, यह सोचने के लिए हमें ज़रूरत हैं।

महोदय, मैं समझता हूं कि इसके लिए हमारे समाज में उचित शिक्षा की बहुत जरूरत है, क्योंकि ड्रग्ज़ क्या है, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। ड्रग्ज़ के बारे में हम लोग बात तो करते रहते हैं, लेकिन हम खुद ही नही जानते कि ड्रग्ज़ क्या है। यह हेरोइन क्या होती है, ब्राउन शुगर क्या होता है, इसे न मैंने कभी देखा और न ही कभी टेस्ट करने को मिला। अगर इस संसद में किसी को इसका एक्पीरिएंस हो, तो मुझे पता नही। मैं कहना चाहता हूं कि आम लोगों को ही पता नही है कि एक्चुअली ड्रग्ज क्या है? कभी-कभी नशीली दवाइयों के बारे में भी बोलते हैं कि उसमें ड्रग्ज़ है, जैसे Cough Syrup में ड्रग्ज़ होता है, dendrite जिसे हम किसी चीज़ को चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह भी ड्रग्ज़ होता है। फिर कोकीन है, गांजा है, सिगरेट है, भांग है, हुक्का है, ज़र्दा है, पान मसाला है, शिखर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमेशा यह कहा जाता है कि ये सेहत के लिए अच्छी नही होती हैं। ये ही ड्रग्ज़ हैं। शुरुआत में हम लोग इनको थोड़ा-सा टेस्ट करने के बहाने, बाद में धीरे-धीरे ड्रग्ज़ की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। हमें लोगों के मन में यह लाना है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ताकि इन चीज़ों से हम दूर रहें और इसको बंद कर सकें। अगर यह सही चीज़ ही नही है, तो इसको हमें बंद करना ही चाहिए, लेकिन इसे हम कानून से बंद नही कर सकते। कानून में, जो चीज़ उपलब्ध है, उसे ठीक तरीके से व्यवस्थित करने के लिए नियम होता है, लेकिन जो चीज़ व्यवहार में लाने के लिए सही ही नही है, उसके लिए हमको कानून बनाने की जरूरत नही है, बल्कि इसे बंद करने की जरूरत है। जब तक हम वहां तक इसकी चिंता नही करेंगे, तब तक हम अपने भारत को ड्रग्ज़ मुक्त नही कर सकेंगे और अपने बच्चों को इससे बचा नही सकेंगे।

यह सही बात है कि नॉर्थ-ईस्ट में हम लोगों ने इससे बहुत सफर किया है। हमारे वहां जो बच्चे स्कूल जाते हैं या होस्टल में रहते हैं, बाद में वे drug-addict बन जाते हैं। उसके बाद उनकी दिमागी हालत ऐसी हो जाती है कि अगर उन पर करोड़ों रुपये भी खर्च कर दें, तब भी मेडिकल में इसकी ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नही है। यह बहुत चिंताजनक विषय है। इसलिए मैं आदणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कैसे हम पूरे समाज में इस प्रकार की शिक्षा लाएं, ताकि लोग आसानी से ड्रग्ज़ से होने वाले नुकसानों के बारे में समझ सकें। हेरोइन क्या होती है, ब्राउन शुगर क्या होता है, हमें यह अपने बच्चों को समझाना होगा। पान खाने से कोई प्रॉब्लम नही होती थी, लेकिन जब से पान मसाला बन गया, शिखर बन गया, मिष्टी बन गया, 120 बन गया, जब हम इनमें मिलावट करके व्यवहार में लाने लगे, तो बाद में ये सब चीज़ें डेंजरस हो गईं। ...**(समय की घंटी)**... ऐसी चीज़ों के बारे में ज्ञान फैलाने की जरूरत है। हम इसको कानून

[श्री बिश्वजीत दैमारी]

से रोक नही सकते हैं। हमें खुद इससे दूर होना होगा और ऐसी चीज़ों को बंद करने की व्यवस्था करनी होगी, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और समाज के लिए बहुत आवश्यक विषय है, जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। चूंकि Calling Attention एक घंटे के अंदर पूरा होना है और Calling Attention शुरू होने के बाद कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने नाम भेजे हैं, लेकिन मैं चाह करके भी उन्हें आमंत्रित नही कर पा रहा हूं। अगर समय रहता, तो जरूर हम उन्हें आमंत्रित करते। Calling Attention एक घंटे के अंदर ही पूरा होना है, यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है। अब माननीय मंत्री जी अपना जवाब दें।

श्री थावरचन्द गहलोत: माननीय उपसभापति महोदय, यह जो Calling Attention आया है, इस विषय पर 13 माननीय सांसदों ने अपने-अपने विचार व्यक्त करते हुए, नशे की लत पर अपनी चिंता व्यक्त की है। भिन्न-भिन्न प्रकार के नशे के बारे में जानकारी सामने आई है और उसके क्या-क्या परिणाम होते हैं, यह जानकारी भी आई है। उसको रोकने के प्रयास करने के लिए भी सुझाव आये हैं। मैं इन माननीय सांसदों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये। निश्चित रूप से मेरा विभाग इन सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगा और मैं सोचता हूँ कि नशा मुक्ति की दिशा में वे हमारे लिए लाभकारी होंगे।

जिन माननीय सांसदों ने अपने सुझाव रखे हैं, मैं अधिकांश से सहमति व्यक्त करता हूँ। और मैं भी उनकी चिन्ता में अपनी चिन्ता भी व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से यह बहुत गम्भीर विषय है और चिन्ता का विषय है। हम नशा मुक्ति का प्रयास करते हैं लेकिन मान लीजिए कि हम 100 लोगों को नशा मुक्त कराते हैं, तो 90 नये लोग खड़े हो जाते हैं। अब यह परम्परा जो चल रही है, हमारा जो निरंतर प्रयास है, उसमें मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि सरकार ने जो कानून बनाया है और कानून को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, वे सफल तो होते हैं, परन्तु पूर्ण सफल तब तक नही होते, जब तक जनता की भागीदारी उसमें नही हो। जनता इसमें भागीदारी करे और देश को नशा मुक्त करे, देश को स्वस्थ बनाने में सहभागी बने, तो बड़ी कृपा होगी।

मैं बताना चाहूँगा कि नशा मुक्ति की दृष्टि से "स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम" 1985 से लागू है। यह अधिनियम वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। इस अधिनियम में जो-जो प्रावधान हैं, वे प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं कि एक तो व्यसनियों की, जो नशे में लिप्त हैं, उनकी पहचान करना, उनका उपचार करना, उनको शिक्षा देना, बाद में उनकी देखभाल करना, पुनर्वास की व्यवस्था करना, सामाजिक पुनःएकीकरण और सामाजिक समावेशन की दिशा में प्रयास करना, ये उसके मूल उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों पर ही हम काम कर रहे हैं। कुछ माननीय सांसदों ने कहा कि इस एक्ट में कुछ सजा का प्रावधान करना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से या गृह मंत्रालय की ओर से जब कोई नशीले पदार्थ पकड़े जाते हैं, जब्त होते हैं, तो इस एक्ट के अंतर्गत 6 माह से लेकर 15 साल तक की सजा का प्रावधान है और 2 लाख रुपये से कुछ अधिक मात्रा तक जुर्माने का भी प्रावधान है। इस प्रकार की कार्रवाई

गृह मंत्रालय के द्वारा और वित्त मंत्रालय के नारकोटिक्स विभाग द्वारा समय-समय पर की जाती है। उनके आंकड़े भी हम उपलब्ध करा सकते हैं, परन्तु इसे एक घंटे में पूरा करना है और अभी तो ज्यादा समय हो गया है, फिर भी मैं संक्षेप में कुछ न कुछ उचित जवाब देने का प्रयास करूँगा।

माननीय सांसदों ने जो सुझाव दिये हैं, पहली बात तो आर. के. सिन्हा साहब ने कहा है कि 7-8 साल और 10 साल के बच्चों का.. जो उनके ध्यानाकर्षण का विषय है, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख नही किया था, नही तो हम उसकी तैयारी भी कर के लाते। हम जो रूटीन में 49 साल से 75 साल वालों का सर्वे कर रहे हैं, हमने उसकी जानकारी दी है। सिन्हा साहब ने कहा था- "देश के विभिन्न भागों में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों में मादक द्रव्य पदार्थों की लत की खबरों के कारण पैदा हुई स्थिति की ओर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का ध्यान दिलायेंगे।" मैंने बताया है कि हम 10 शहरों में स्कूलों में और कॉलेजों में यह सर्वे करा रहे हैं, परन्तु सर्वे का आधार 10 वर्ष से 75 वर्ष की उम्र तक के बीच का है और इसमें से उनकी मंशानुसार निष्कर्ष सामने आने की सम्भावना है। अब रहा सवाल, 7-8 साल और 9 साल वालों का, तो उनके इस सुझाव पर हम विचार करेंगे और भविष्य में इस प्रकार का प्रयास भी करेंगे।

महोदय, नशा कई प्रकार का है, सभी माननीय सदस्यों ने अलग-अलग बातों का उल्लेख करते हुए कहा है। इन चार-पाँच वर्षो में नशा मुक्ति की दिशा में हमने अनेक प्रयास किये हैं। हम राज्यों के मंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं, राज्यों के सचिवों के साथ मीटिंग करते हैं। हमने कब-कब मीटिंग की है, यदि उसकी जानकारी चाहिए, तो वह भी है, डेटवाइज़ है, सब है। इसके साथ ही साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग से भी हम बातचीत करते हैं और एनजीओज़, जो लगभग 430 से अधिक की संख्या में हैं, हमारे मंत्रालय से नशा मुक्ति के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। हम उन NGOs में स्वयं जाकर भी देखते हैं। मैं भी कई NGOs में गया हूं। Autonomous Bodies और नगरीय निकाय द्वारा जो नशामुक्ति केन्द्र चलाए जाते हैं, मैं उनमें भी गया हूं। हमारे विभाग की ओर से जो नशामुक्ति केन्द्र चलते हैं, उनमें भी गया हूं। बाल सुधार गृहों में, जहां नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद, जब कोई बालक अपराध करता पकड़ा जाता है, तो सामान्यत: न्यायालयों से उन्हें बाल सुधार गृहों में भेज दिया जाता है। मैं एक नही अनेक ऐसे बाल सुधार गृहों में भी गया हूं और वहां छोटे-छोटे बच्चों से, उनके बीच में बैठकर, प्रत्यक्ष रूप से बातचीत की है। मैंने यह भी महसूस किया है कि वे कैसे नशे की ओर अग्रसर होते हैं।

स्कूल-कॉलेजों के बाहर कुछ ऐसे लोग खड़े रहते हैं, जो नशीले पदार्थ बच्चों को पहले मुफ्त में देते हैं - 2-4 या 8 दिन तक वे मुफ्त में देते हैं और बाद में जब बच्चों की आदत पड़ जाती है तो मुफ्त में देने से हाथ खीच लेते हैं और बच्चों से कहते हैं कि यह 2,000 रुपए की सामग्री है, 3,000 रुपए की सामग्री है। बच्चे अपने घरों में जाकर या तो मां-बाप से बहाना करके पैसे निकाल लाते हैं या चोरी-छिपे पैसे लाकर नशीले पदार्थ खरीदते हैं। इससे उन्हें नशे की लत पड़ जाती है। कई लोग नशे के इंजेक्शन भी लगाते हैं। कुछ नशीले पदार्थ सूंघकर भी नशा करते हैं। इस तरह बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं। इन सभी तरह के नशों को रोकने के लिए भिन्न-भिन्न उपाय किए हैं। विगत 5 वर्षो में बजट में भी निरंतर वृद्धि होती रही है। जब 2014

[श्री थावरचन्द गहलोत]

में हम सरकार में आए थे, उस समय इसका 35 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़कर इस साल 135 करोड़ रुपए का हो गया है। राज्य सरकारों को भी हम पैसा आवंटित करते हैं, NGOs को भी देते हैं, Autonomous Bodies को भी देते हैं और जो नशामुक्ति केन्द्र चलाते हैं, उन सबको विधिवत प्रस्ताव आने पर आर्थिक सहायता देते हैं। कुल मिलाकर हमारा प्रयास रहता है कि देश नशामुक्त हो जाए, देश के लोग स्वस्थ हों और देश में विकास की गति तेज़ हो।

माननीय नवनीतकृष्णन जी ने पूछा था कि तमिलनाडु में कौन-कौन से जिले हैं? मैं सोचता हूं कि यदि जिले बता दूंगा तो शायद वे चर्चा का विषय बन जाएंगे। महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं बता सकता हूं।

श्री उपसभापति: उन्होंने जो अच्छी बातें कही हैं, सिर्फ उनका उल्लेख कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावरचन्द गहलोत: देश में जो कुल 135 जिले हैं, जहां हम सर्वे कर रहे हैं, उनमें तमिलनाडु के ये 4 जिले शामिल हैं - कांचीपुरम, तिरुवल्लुवर, तिरुचिरापल्ली और तिरुनेलवेली। ...**(व्यवधान)**... हम सर्वे कर रहे हैं। आप सर्वे में सहयोग दीजिए।

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, प्लीज़ थोड़ा संक्षेप में उत्तर दें, क्योंकि एक घंटे में Calling Attention Motion, आपके जवाब के साथ, खत्म हो जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... Please take your seat.

श्री थावरचन्द गहलोत: इनके अलावा जो जोखिम भरे जिले हैं, क्या उनके नाम भी बता दूं - जो क्रिटिकल जिले हैं, ज्यादा नशे वाले हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: विस्तार में न जाकर, चूंकि यह विषय तमिलनाडु तक ही सीमित नही है, बल्कि पूरे देश की स्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... यह बहस पूरे देश की समस्या को लेकर है और समय आपके पास संक्षिप्त है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप जल्दी समाप्त करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावरचन्द गहलोत: मेरे पास जो कहने के लिए था, वह प्रमुख रूप से मैंने कह दिया है। राज्य-वार जितना आवंटन किया गया है, वह भी मैं बता सकता हूं। NGOs के माध्यम से जो राशि आवंटित की गई, वह भी बता सकता हूं। देश में जितने नशामुक्ति केन्द्र चल रहे हैं, वहां हमने अनेक कार्यक्रम किए हैं, दौरे किए हैं, उनकी जानकारी भी दे सकता हूं। कुल मिलाकर, मैं कह सकता हूं कि हमने इस दिशा में सक्रियता से काम करने का प्रयास किया है, कठोर परिश्रम के साथ काम किया है और हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद, पहली बार सर्वे कार्यक्रम देश के सभी 36 राज्यों के 135 जिलों में चलाने का लक्ष्य तय किया है, जो दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम अगली कार्य योजना बनाएंगे।

देश में नशामुक्ति की नीति भी बनी है, जो 2012 से लागू है। हम उस नीति के अनुसार काम कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस नीति में, जो प्रचलित है, सुधार करने की कार्यवाही भी कर रहे हैं। माननीय सदस्यों ने सदन में जो सुझाव दिए, उन सभी

सुझावों पर हम अमल करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से उनका उद्देश्य देश को नशामुक्त करने का है। हमारे विभाग का लक्ष्य भी देश को नशामुक्क्त करने का है। हम इस दिशा में कारगर प्रयास करते रहेंगे, धन्यवाद।

STATUTORY RESOLUTION DISAPPROVING THE INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) SECOND ORDINANCE, 2019 (NO. 5 OF 2019);

AND

THE INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2019

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we move to ...*(Interruptions)*...

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, just one second. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No questions. ...*(Interruptions)*... Now, we move to next Business. ...*(Interruptions)*... Please, no. ...*(Interruptions)*... Statutory Resolution and the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2019 to be discussed together. Shri D. Raja, Shri Binoy Viswam and Shri Elamaram Kareem; Shri Binoy Viswam will move the Resolution. Please move the Resolution. First read it.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I move:

"That this House disapproves the Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2019 (No. 5 of 2019) promulgated by the President of India on 21st February, 2019."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, now I wish to say why I moved this Resolution. During the last few days, we, the Members of Left parties, were repeatedly telling the House that this practice of bringing Ordinances, delivering it like anything, is not a good practice for the Parliament. We all know that it may be needed in extreme cases but what is happening here! The Government feels that ordinance is an alternative tool of legislation. It is not and it was never conceived like that. Even before this Constitution, before Article 123 came into existence, this was debated in the Constituent Assembly by the framers of the Constitution. These matters were discussed thoroughly there. They were very clear that in rarest of rare cases, ordinances are possible but the Government is violating that. The Government thinks that every Bill is rarest of rare.